Dr. Vandana Suman
Professor
Dept. of Philosophy
H. D. Jain College, Ara
UG. SEM – IV
MJC-06 : Western Ethics
(पाश्चात्य नीतिशास्त्र)

GRB BOOKS Notes

दंड के सिद्धान्त —
"निवर्तनवादी सिद्धान्त" (Preventive or deterrent of Examplary theory)

इस सिद्धान्त के अनुसार किसी अपराधी को सजा देने का उद्देश्य लक्ष्य रहता है कि उस अपराध की पुनरावृत्ति उस अपराधी या अन्य व्यक्ति द्वारा न हो। एक न्यायधीश के शब्दों में दंड का लक्ष्य इस प्रकार रखा जा सकता है — "तुम्हें भेड़ चुराने के लिए दंडित नहीं किया जाता बल्कि इसलिए की भेड़ की चोरी न हो।" (You are not punished for stealing sheep but in order that sheep may not be stolen.) चोरी, डकैती, हत्या आदि के लिए सजा देने का मुख्य लक्ष्य यह है कि भविष्य में इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इसी प्रकार शुभ कर्मों के लिए पुरस्कार देना चाहिए, ताकि भविष्य में इन कामों के करने की प्रेरणा मिले। जब किसी अपराधी को कतल करके चौराहे पर प्रदर्शन के लिए रखा जाता था, तब उसके पीछे यही मुख्य प्रयोजन था कि दूसरे लोग इससे भयभीत होकर इस प्रकार का अपराध न करें।

आलोचना — निवर्तनवादी सिद्धान्त दोषपूर्ण है। यहाँ अपराध की संभावना दूर करने के लिए किसी अपराधी को

सुगम पास-बुक AN EASY APPROACH TO GET SUCCESS

Notes / 2

दंड दिया जाता है। अपराधवृत्ति रोकने के लिए किसी मनुष्य को साधन बनाना सर्वथा अनुचित है। मनुष्य को सदैव एक साध्य (end) समझा जाना चाहिए न कि साधन, मनुष्य को साधन बनाना मनुष्य मात्र के प्रति अन्याय करना है। दूसरों को अपराध करने से रोकने के लिए किसी व्यक्ति को दंड देना भी उचित नहीं कहा जा सकता। मैकेंजी के शब्दों में "एक व्यक्ति को केवल दूसरे के लिए तकलीफ देना शायद ही उचित समझा जाए इसमें मनुष्य को वस्तु मान लेना होगा, एक साधन-मात्र, अपने आप में साध्य नहीं। लिलि के अनुसार निवर्तनवाद की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि यदि दंड का लक्ष्य केवल व्यक्ति को कुकर्मों से अलग रखना है, तो यह महत्वहीन है कि दंडित व्यक्ति अपने आप में बेकसूर था कसूरवार है।" मनुष्य वैसा आलू नहीं है, जिसमें थोड़ा-सा दाग लगाने पर आलुओं के सड़ने के भय से उसे निकाल फेंका जाए।